प्रेस–विज्ञप्ति दिनांक 12.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

कल से प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत घर–घर जाकर हितग्राहियों के दस्तावेजों को देखेंगे

भिलाईनगर/ प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत जिन हितग्राहियों के पास भूखण्ड है पर रहने के लिए पक्का घर नहीं है उन घरों का मोबाईल ऐप के द्वारा सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान 64 हजार 845 आवेदन प्राप्त हुए थे। आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के लिए प्रत्येक जोन स्तर पर जोन आयुक्त के देखरेख में दल का गठन किया गया है। जो घर–घर पहुंचकर दस्तावेजों का निरीक्षण करेगी यह भी देखेगी कि आवेदक के पास पक्का आर0सी0सी0 मकान तो नहीं है। उसके पश्चात् सूची को अंतिम रुप देकर एम0आई0एस0 प्रविष्टि की जायेगी।

जिनके पास शासन द्वारा जारी किया गया स्वयं के नाम का 30 वर्षीय पट्टा, तत्कालिन साडा द्वारा आबंटित भूमि अथवा निजी भूमि हो जिसपर कच्चा मकान खपरैल, झोपड़ी, सिट लगा हुआ निर्मित होना आवश्यक है। उपलब्ध भूखण्ड की फोटोप्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक फोटोप्रति, 02 पासपोर्ट साईज फोटो निगम के निरीक्षण दल के पास जमा करना होगा। पात्र हितग्राही को स्वयं का मकान बनाने के लिए शासन द्वारा अधिकतम 2.30 लाख का अनुदान प्राप्त होगा, यह राशि वापस नहीं करना पड़ेगा। अंतिम पात्र हितग्राहियों का चयन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। सभी ऐसे हितग्राही जिसके पास कर्मचारी जायेंगे, उन्हे उचित सहयोग कर दस्तावेज अवश्य उपलब्ध करावें । दस्तावेज के अभाव में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पायेगा।

फोटो संलग्न

जनसम्पर्क अधिकारी